



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012021-224122
CG-DL-E-02012021-224122

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]
No. 3]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2021/पौष 11, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2021/PAUSHA 11, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020

का.आ. 3(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के नियम 2 (क) के अंतर्गत मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (आर.जी.पी.एल.) के द्वारा गुजरात राज्य में ईथेन पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, भारत के राजपत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 2291(अ) दिनांक 8 सितम्बर, 2014 द्वारा प्राधिकृत, मैं, एच. आर. कालैय्या, जीएस, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (1) के नीचे दी गई परिभाषा (1) के अन्तर्गत अधिकारों के अनुपालन में, मैसर्स आर.जी.पी.एल., जिसमें यथास्थित, उस क्षेत्र में भूमि में उपयोग का अधिकार निहित किया गया है और उस क्षेत्र में पाइपलाइन का स्वामित्व निहित है, के परामर्श से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 4 में गुजरात राज्य के जिला वलसाड में प्रचालन की समाप्ति की तारीखें घोषित करता हूँ।

अनुसूची

तहसील : वलसाड		जिला : वलसाड			राज्य : गुजरात
क्र.स.	गाँव का नाम	धारा 6(1) और 6(4) की का0 आ0 संख्या एवं दिनांक			प्रचालन समाप्ति का दिनांक
1	2	3			4
1	वाघलधरा	3134 (अ)	दिनांक	05-11-2015	24-08-2018
		228 (अ)	दिनांक	21-01-2016	
		3392 (अ)	दिनांक	26-10-2016	
		1838 (अ)	दिनांक	04-05-2018	
		3749 (अ)	दिनांक	25-07-2018	
2	कोचवाडा	3134 (अ)	दिनांक	05-11-2015	29-08-2018
		3749 (अ)	दिनांक	25-07-2018	
3	गाडरीया	3134 (अ)	दिनांक	05-11-2015	29-08-2018
		228 (अ)	दिनांक	21-01-2016	
		1838 (अ)	दिनांक	04-05-2018	
		3749 (अ)	दिनांक	25-07-2018	
तहसील : पारडी		जिला : वलसाड			राज्य : गुजरात
1	सोनवाडा	2940 (अ)	दिनांक	27-10-2015	31-08-2018
		3134 (अ)	दिनांक	05-11-2015	
		1555 (अ)	दिनांक	21-04-2016	
		952 (अ)	दिनांक	10-03-2017	
		3749 (अ)	दिनांक	25-07-2018	
2	रोहीणा	2940 (अ)	दिनांक	27-10-2015	27-08-2018
		3134 (अ)	दिनांक	05-11-2015	
		952 (अ)	दिनांक	10-03-2017	
		3749 (अ)	दिनांक	25-07-2018	
3	डुमलाव	2940 (अ)	दिनांक	27-10-2015	27-08-2018
		3134 (अ)	दिनांक	05-11-2015	
		3749 (अ)	दिनांक	25-07-2018	
4	अंबाच	3134 (अ)	दिनांक	05-11-2015	27-08-2018
		3749 (अ)	दिनांक	25-07-2018	
तहसील : उमरगाम		जिला : वलसाड			राज्य : गुजरात
1	बोरलाइ	2940 (अ)	दिनांक	27-10-2015	24-08-2018
		3134 (अ)	दिनांक	05-11-2015	
		952 (अ)	दिनांक	10-03-2017	
		3749 (अ)	दिनांक	25-07-2018	

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 17 के अंतर्गत संरचित पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशनार्थ

[फा.सं. एल.-14014/51/2018-जी.पी.-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2020

S.O. 3(E).—In pursuance of powers conferred by Explanation 1 below sub-rule (1) of Rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Lands) Rules, 1963, I, H.R.Kalaiya, GAS authorized by Government of India, Ministry of Petroleum & Natural Gas vide Notification S.O.2291(E) dated 8th September, 2014 (published in the Gazette of India on 09th September, 2014) under Section 2(a) of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962(50 of 1962) to perform the functions of Competent Authority for laying Ethane Pipeline by M/s Reliance Gas Pipelines Limited (RGPL) in the State of

Gujarat, in consultation with M/s RGPL, to whom the Right of User in the land in that area has been vested and in whom the ownership of the pipeline in that area vests, hereby declare the dates, mentioned in Column 4 of the Schedule annexed herewith, as the dates of Termination of Operations in District Valsad in the State of Gujarat.

SCHEDULE

Tehsil : VALSAD		District : VALSAD			State : GUJARAT
Sl. No.	Village	S.O. No. and Date of Notification under sub-section (1) & (4) of Section 6			Date of Termination of Operation
1	2	3			4
1	Vaghaldhara	3134(E)	Date	05-11-2015	24-08-2018
		228(E)	Date	21-01-2016	
		3392(E)	Date	26-10-2016	
		1838(E)	Date	04-05-2018	
		3749(E)	Date	25-07-2018	
2	Kochvada	3134(E)	Date	05-11-2015	29-08-2018
		3749(E)	Date	25-07-2018	
3	Gadariya	3134(E)	Date	05-11-2015	29-08-2018
		228(E)	Date	21-01-2016	
		1838(E)	Date	04-05-2018	
		3749(E)	Date	25-07-2018	
Tehsil : PARDI		District : VALSAD			State : GUJARAT
1	Sonwada	2940(E)	Date	27-10-2015	31-08-2018
		3134(E)	Date	05-11-2015	
		1555(E)	Date	21-04-2016	
		952(E)	Date	10-03-2017	
		3749(E)	Date	25-07-2018	
2	Rohina	2940(E)	Date	27-10-2015	27-08-2018
		3134(E)	Date	05-11-2015	
		952(E)	Date	10-03-2017	
		3749(E)	Date	25-07-2018	
3	Dumlav	2940(E)	Date	27-10-2015	27-08-2018
		3134(E)	Date	05-11-2015	
		3749(E)	Date	25-07-2018	
4	Ambach	3134(E)	Date	05-11-2015	27-08-2018
		3749(E)	Date	25-07-2018	
Tehsil : UMARGAM		District : VALSAD			State : GUJARAT
1	Borlai	2940(E)	Date	27-10-2015	24-08-2018
		3134(E)	Date	05-11-2015	
		952(E)	Date	10-03-2017	
		3749(E)	Date	25-07-2018	

Published in the Official Gazette of India under Rule 4 of the P&MP (ARUL) Rules 1963, framed under Section 17 of P&MP (ARUL) Act, 1962

[F.No. L-14014/51/2018-GP-II]

RAJ KISHORE , Under Secy.